# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

**पीठासीन अधिकारी : श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.**

राजस्व आवेदन संख्या 76/2023

| **प्रार्थी** | **बनाम** | **विप्रार्थीगण** |
|---|---|---|
| 1. उदाराम पुत्र लाभाराम<br>2. सेनाराम पुत्र लाभाराम<br>3. देराजराम पुत्र लाभाराम<br>4. भैराराम पुत्र लाभाराम जाति जाट निवासी एड आमरसिंह तहसील सिणधरी | | 1. धीमाराम पुत्र [illegible] (फौत के कायम मुकाम)<br>1/1 मूलाराम पुत्र धीमाराम<br>1/2 [illegible] पत्नी धीमाराम जाति जाट निवासी एड आमरसिंह तहसील सिणधरी<br>2. तहसीलदार सिणधरी |

**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थिति :-

1. श्री पाबूराम बेनीवाल प्रार्थीगण उपस्थित।
2. नायब तहसीलदार (उपखण्ड कार्यालय) राजकीय अधिवक्ता विप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।

## आदेश

दिनांक

1. संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीगण का खातेदारी खेत खसरा संख्या 178 रकबा 15.0150 हैक्टेयर, ग्राम एड आमरसिंह पटवार मण्डल एड सिणधरी तहसील सिणधरी में अवस्थित है, कि वक्त विभाजन से प्रार्थीगण के नवीन खसरा संख्या 178 [illegible] इसी प्रकार विप्रार्थीगण संख्या 1 के खसरा संख्या 178/2 कायम [illegible] उक्त तरमीम राजस्व कार्मिकों की भूल से विप्रार्थीगण [illegible] कि मौतिक रूप से प्रार्थी के कब्जा काश्त एवं प्रार्थी की [illegible] है। मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त संलग्न परिशिष्ट अ अनुसार ही है। अत विवादित भूमि की मौका कब्जा स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्ती करवाने हेतु यह आवेदन पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:08:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

2 प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी सं. 1की ओर से नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय) राज.पैरोकार उपस्थित हुए। विप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। विवादित भूमि की मौका जांच रिर्पोट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3.प्रार्थी वकील ने अपनी बहस के तथ्यों में कथन करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण का खातेदारी खेत खसरा संख्या 178 रकबा 15.0150 हैक्टेयर, ग्राम एड अमरसिंह पटवार मण्डल एड सिणधरी तहसील सिणधरी में अवस्थित है, कि वक्त विभाजन से प्रार्थीगण के नवीन खसरा संख्या 178 कायम हुए तथा इसी प्रकार विप्रार्थीगण संख्या 1 के खसरा संख्या 178/2 कायम होकर लट्ठा ट्रेस में पृथक तरमीम की गई, उक्त तरमीम राजस्व कार्मिकों की भूल से विप्रार्थीगण संख्या 1 की खातेदारी भूमि में कर दी है जब कि भौतिक रूप से प्रार्थी के कब्जा काश्त एवं प्रार्थी की रहवासीय ढाणियां टांके एवं चारबाड़े बने हुए है। मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त सलंग्न परिशिष्ट– अ अनुसार ही है। अपनी बहस को जारी रखतें हुए आगे ओर कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 22.11.2024 में तरमीम दुरूस्ती करने की सिफारिश की गई है। जो तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि की लटढा नक्शा में तरमीम दुरूस्ती करवानें का आदेश फरमावें।

4.विप्रार्थी सं. 1 की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने अपनी बहस में जाहिर किया,कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात एवं मौका जांच रिर्पोट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया गया कि प्रार्थीगण का खातेदारी खेत खसरा संख्या 178 रकबा 15.0150 हैक्टेयर, ग्राम एड अमरसिंह पटवार मण्डल एड सिणधरी तहसील सिणधरी में अवस्थित है, कि वक्त विभाजन से प्रार्थीगण के नवीन खसरा संख्या 178 कायम हुए तथा इसी प्रकार विप्रार्थीगण संख्या 1 के खसरा संख्या 178/2 कायम होकर लट्ठा ट्रेस में पृथक तरमीम की गई, उक्त तरमीम राजस्व कार्मिकों की भूल से विप्रार्थीगण संख्या 1 की खातेदारी भूमि में कर दी है जब कि भौतिक रूप से प्रार्थी के कब्जा काश्त एवं प्रार्थी की रहवासीय ढाणियां टांके एवं चारबाड़े बने हुए है। तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत लटढा नक्शा में तरमीम हो रखी है,जो कि गलत तरमीम हो रखी है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 22.11.2024 से होता है,इस प्रकरण में प्रार्थीगण के मौके पर कब्जा काश्त से विपरीत तरमीम होनें के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति भी हो रही है,जबकि खातेदारान के मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम होनी चाहिए। ताकि राजस्व रिकॉर्ड की एकरूपता बनी रहें और तहसीलदार सिणधरी ने भी अपनी मौका जांच रिपोर्ट में मौका स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अनुशंषा की गई है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि विवादित भूमि के खातेदारान का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम नहीं हो रखी है। जो प्रार्थीगण मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्त करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:08:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

इस लिहाज प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 178 रकबा 15.0150 हैक्टेयर, ग्राम एवं अमरसिंह पटवार मण्डल एवं सिणधरी तहसील सिणधरी से विभक्त होकर कायम हुए नये खसरा सम्बन्धित भूमि की विद्यमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 22.[illegible].2024 व संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त करने के आदेश पारित किये जाते हैं उक्त नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सिणधरी को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
**उपखण्ड अधिकारी सिणधरी**

आदेश आज दिनांक 19.12.2024 को लिखा जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

**उपखण्ड अधिकारी सिणधरी**

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:08:04 IST
Reason: SelfAttested